

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-06, नौएडा

योजना कोड सं0-2020-21 (एच) (01)

विभिन्न आवासीय सैक्टरों में आबंटन हेतु उपलब्ध एल0आई0जी0/टाइप-II/ एम0आई0जी0/ एच0आई0जी0/ डुपलैक्स फ्लैटों के "जैसा है जहाँ है" के आधार पर फ्लैट आबंटन की योजना के नियम एवं शर्तः-

1 नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय सैक्टरों में आबंटन हेतु उपलब्ध एल0आई0जी0/टाइप-II/ एम0आई0जी0/ एच0आई0जी0/ डुपलैक्स फ्लैट/भवन के "जैसा है जहाँ है" के आधार पर फ्लैट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2020 से 17.09.2020 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

2 फ्लैटों की श्रेणी का विवरण

एल0आई0जी0 (LIG) सैक्टर-52 अनुपातिक क्षेत्रफल 54.87 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-2

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	1	9714865/-	9,75,000/-	2914865/-	5825000/-	64623/-
द्वितीय तल	1	8215416/-	8,20,000/-	2470416/-	4925000/-	49268/-

एम0आई0जी0 (MIG) सैक्टर-62 अनुपातिक क्षेत्रफल 91.151 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-3

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
द्वितीय तल	1	6644814/-	665000/-	1994814/-	3985000/-	57050/-
तृतीय तल	2	5900700/-	595000/-	1764700/-	3541000/-	49610/-

एल0आई0जी0 (LIG) सैक्टर-71 अनुपातिक क्षेत्रफल 54.87 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-1

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	1	7767991/-	777000/-	2325991/-	4665000/-	44794/-

आवेदक के हस्ताक्षर

एच0आई0जी0 (HIG) सैक्टर-99 अनुपातिक क्षेत्रफल 153.57 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-16

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	3	17415933/-	1745000/-	5220933/-	10450000/-	119476/-
प्रथम तल	7	16221177/-	1625000/-	4861177/-	9735000/-	107528/-
द्वितीय तल	2	14628180/-	1465000/-	4388180/-	8775000/-	91598/-
तृतीय तल	4	13433425/-	1345000/-	4028425/-	8060000/-	79651/-

एम0आई0जी0 (MIG) सैक्टर-99, अनुपातिक क्षेत्रफल 74.02 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-5

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	2	9048452/-	905000/-	2713452/-	5430000/-	57550/-
द्वितीय तल	2	7705640/-	775000/-	2305640/-	4625000/-	44121/-
तृतीय तल	1	7130147/-	715000/-	2137147/-	4278000/-	38367/-

एल0आई0जी0 (LIG) सैक्टर-99 अनुपातिक क्षेत्रफल 66.83 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-62

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	18	7589680/-	760000/-	2276680/-	4553000/-	51690/-
प्रथम तल	16	7070090/-	710000/-	2115090/-	4245000/-	46764/-
द्वितीय तल	11	6377300/-	640000/-	1911300/-	3826000/-	39836/-
तृतीय तल	17	5857720/-	590000/-	1752720/-	3515000/-	34640/-

एच0आई0जी0 (HIG) सैक्टर-105 अनुपातिक क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-14

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	4	15454031/-	1550000/-	4629031/-	9275000/-	127878/-
प्रथम तल	3	14175257/-	1420000/-	4245257/-	8510000/-	115090/-
द्वितीय तल	5	12470225/-	1250000/-	3738225/-	7482000/-	98040/-
तृतीय तल	2	11191451/-	1120000/-	3356451/-	6715000/-	35252/-

आवेदक के हस्ताक्षर

एल0आई0जी0 (LIG) सैक्टर-135 अनुपातिक क्षेत्रफल 66.83 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-18

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल	4	6461130/-	650000/-	1935130/-	3876000/-	40675/-
प्रथम तल	4	6054390/-	610000/-	1809390/-	3635000/-	36607/-
द्वितीय तल	1	5512060/-	555000/-	1647060/-	3310000/-	31184/-
तृतीय तल	9	5105320/-	510000/-	1530320/-	3065000/-	27117/-

डुपलैक्स (Duplex) सैक्टर-135 क्षेत्रफल 180 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-3

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
डुपलैक्स	3	17924222/-	1792000/-	5372222/-	10760000/-	84924/-

टाइप-II (TYPE-II) सैक्टर-118 अनुपातिक क्षेत्रफल 65.42 वर्गमीटर

भवनों की संख्या-231

तल	भवनों की संख्या	भवन का कुल मूल्य ₹0 में	पंजीकरण धनराशि (10%) ₹0 में	आवंटन राशि (30%) ₹0 में	बकाया प्रीमियम ₹0 में	वार्षिक भू-भाटक ₹0 में
भू-तल		5743360/-	575000/-	1722360/-	3446000/-	37092/-
प्रथम तल		5372576/-	540000/-	1607576/-	3225000/-	33335/-
द्वितीय तल		4879135/-	488000/-	1461135/-	2930000/-	28396/-
तृतीय तल		4508752/-	450000/-	1348752/-	2710000/-	24693/-

फ्लैट की अंतिम कीमत की 30% आवंटन धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर भुगतान करना होगा तथा अवशेष धनराशि 4 वर्षों की 8 छमाही किस्तों में करना होगा। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अंतिम कीमत का पूर्ण भुगतान करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में आवंटन न होने की दशा में प्रथम किस्त पर नियमानुसार सामान्य दर से ब्याज देय होगा। किस्तों का विवरण आवंटन पत्र में दर्शाया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

3 आवेदन कैसे करें

(क) योजना की विवरणिका तथा उपलब्ध फ्लैटों की सूची नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट- www.noidaauthorityonline.in पर उपलब्ध है। जिसे प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड कर पंजीकरण धनराशि एवं रू0 1000/- आवेदन फार्म शुल्क की मद का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ निम्न बैंकों में निर्धारित अवधि दिनांक 18.08.2020 से 17.09.2020 में जमा कराना होगा:-

क्र.सं. नाम एवं पता

1. केनरा बैंक, सैक्टर-6, नौएडा।
2. एच डी एफ सी, सैक्टर-18, नौएडा।
3. कोटेक महेन्द्रा, सैक्टर-18, नौएडा।
4. आई0सी0आई0सी0आई0, सैक्टर-18, नौएडा।

4. पंजीयन:

पूर्ण भरे हुए आवेदन प्रपत्र निर्धारित पंजीकरण धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पद देय हो, संलग्न कर उललेखित किसी भी निर्धारित बैंक शाखा में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। आवेदक के फाटों एवं हस्ताक्षर बैंक से सत्यापित होने अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

5 अर्हता:

- (क) आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबन्ध के लिए सक्षम हो।
- (ख) आवेदक, उनके पति/पत्नी तथा/अथवा आश्रित बच्चों के नाम पूर्ण रूप में तथा/अथवा आंशिक रूप में कोई भी आवासीय भूखण्ड/फ्लैट पट्टे अथवा किराया क्रय अभिधृति अनुबन्ध के आधार पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा आबंटित नहीं होना चाहिए।
- (ग) आवेदक / अथवा उनके पति / पत्नी/आश्रित बच्चों ने नौएडा क्षेत्र में पूर्व में कोई आवासीय भूखण्ड/फ्लैट का आबंटन प्राप्त कर अन्तरित नहीं किया हो।
- (घ) आवेदक, उनके पति/पत्नी तथा/अथवा आश्रित बच्चे किसी भी एक फ्लैट के आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर समस्त आवेदन पत्र निरस्त करते हुए पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

6 आबंटन की प्रक्रिया:

1. आवेदकों द्वारा विभिन्न आवासीय सैक्टरों में आबंटन हेतु विभिन्न श्रेणी के भवनों को “जैसा है जहाँ है” के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित बैंक शाखा में वांछित पंजीयन धनराशि सहित आवेदन प्रपत्र जमा कराये जा सकते हैं। पंजीयन के आधार पर भवन/फ्लैट का आबंटन मैनुअल तरीके से लाटरी द्वारा किया जायेगा। यदि प्राप्त आवेदनो की संख्या उपलब्ध फ्लैटो से कम होती है तो लाटरी केवल फ्लैट संख्या निकालने हेतु की जायेगी। लाटरी हेतु स्थान एवं समय की घोषणा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी।
2. इस योजना से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्र बैंक ड्राफ्ट के साथ प्राप्त किये जाएंगे। आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। अपूर्ण तथा अपूर्ण शर्तों के साथ प्रपत्र प्रत्यक्षतः विचारणीय नहीं होगा एवं अपात्र होगा। आवेदक/आबंटी के पते में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना विशेष कार्याधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (भवन) को केवल पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
3. आबंटन हेतु उपलब्ध फ्लैटों का प्रकार, मूल्य, भुगतान का विवरण सारिणी में उल्लिखित है। बिना किसी पूर्व सूचना के समय-समय पर इसमें तथा/अथवा सभी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन, जिसमें उपलब्ध फ्लैटों की संख्या में परिवर्तन भी सम्मिलित होगा, करने का अधिकार नौएडा प्राधिकरण का होगा।
4. फ्लैट का आबंटन “जैसा है, जहाँ है” के आधार पर 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर किया जायेगा जिसके लिए आबंटी को पट्टा-सह विक्रय प्रलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण कराकर कब्जा प्राप्त करना होगा।

7 भुगतान की रीति:

- 1 आबंटी द्वारा फ्लैट के मूल्य की 30% आबंटन धनराशि का भुगतान आबंटन/आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों में करना होगा तथा बकाया राशि का भुगतान 8.5% वार्षिक दर से ब्याज सहित 4 वर्षों की 8 छमाही किश्तों में करना होगा। वर्तमान में ब्याज दर 8.5% है जो दिनांक 31.12.2020 तक प्रभावी है। इस तिथि के उपरान्त ब्याज दर परिवर्तित होने पर तदनुसार परिवर्तित दर प्रभावी होगा। प्रथम किस्त आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 6 माह उपरान्त देय होगी। अन्य किश्तें प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर देय होगी।
- 2 आबंटन राशि जमा करने हेतु सामान्यतः कोई समयवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि में आबंटन राशि जमा नहीं करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल कीमत की 5% धनराशि कटौती करते हुए शेष पंजीयन धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। इस प्रकरण में जब्त की जाने वाली राशि पंजीयन धनराशि से अधिक नहीं होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी द्वारा यदि कोई समयवृद्धि स्वीकृत की जाती है तो ऐसी दशा में 11.5% चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा, जिसकी गणना प्रत्येक 6 माह के आधार पर की जायेगी। ब्याज दर में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तित दर से ब्याज देय होगा।

- 3 किस्तों एवं अन्य देय राशियों के भुगतान के लिए सामान्यतया समय विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। समय से भुगतान नहीं करने की दशा में आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा अथवा आवास की कीमत का 5 % राशि प्राधिकरण के पक्ष में सम्प्रहरित कर, शेष धनराशि यथाविधि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी, परन्तु विशेष परिस्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अपने विवेकानुसार धनराशि जमा करने हेतु समयवधि में ब्याज सहित विस्तार कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में देय किस्तों पर नियमानुसार प्रचलित दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज देय होगा, जिसकी गणना प्रत्येक 6 माह के आधार पर की जायेगी। भवन के विरुद्ध जमा भू-भाटक एवं अन्य किसी राजस्व मद में जमा राशि को वापिस नहीं किया जाएगा एवं न ही समायोजित किया जाएगा।
- 4 आबंटी द्वारा जमा की गई धनराशि को पहले देय ब्याज में तथा उसके बाद देय किस्त एवं वार्षिक भू-भाटक में क्रमशः समायोजित किया जायेगा।
- 5 आबंटन के पश्चात सभी भुगतान नगद अथवा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/नौएडा के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट /प्रेषादेश द्वारा जो दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पर देय हो, के रूप में प्राधिकरण की वेबसाईट से परिसम्पत्ति के सापेक्ष ऑनलाइन चालान प्राप्त कर प्राधिकरण के अधिकृत बैंकों में जमा कराये जायेंगे। समस्त देय धनराशि को समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण को बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूले जाने का अधिकार होगा।
- 6 चैक द्वारा कोई भी भुगतान नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं होगा।

8 समर्पण:

- (क) फ्लैट का ड्रा होने से पूर्व/आबंटन पत्र जारी होने से पूर्व यदि कोई आवेदक अपना आवेदन वापिस लेता है तो उसको द्वारा केवल जमा पंजीकरण राशि में धनराशि ₹0 10,000/- की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी ।
- (ख) यदि आवेदक/आबंटी आबंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर समर्पण करता है तो ऐसी दशा में पंजीकरण राशि में से 30% की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- (ग) यदि आवंटी आवंटन पत्र की तिथि से 30 दिन के पश्चात तथा कब्जे हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व आवंटन का समर्पण करता है तो पंजीकरण राशि में से 50% की कटौती करते हुए बकाया धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- (घ) यदि आवंटी द्वारा कब्जे की निर्धारित तिथि के उपरान्त 6 माह की अवधि तक समर्पण की दशा में 75% धनराशि कटौती की जायेगी परन्तु उक्त किसी भी दशा में कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त समर्पण स्वीकार नहीं होगा।
- (ङ) आवंटी द्वारा 6 माह की अवधि के उपरान्त समर्पण की दशा में पूर्ण जमा पंजीयन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। कब्जा प्राप्त किये जाने के उपरान्त उपरोक्त किसी भी दशा में समर्पण स्वीकार नहीं होगा।
- (च) प्राधिकरण द्वारा निरस्तीकरण करने की दशा में कुल कीमत का 5% के अतिरिक्त आवंटी द्वारा जमा धनराशि में किश्तों में जमा ब्याज, पैनल ब्याज एवं देय भू-भाटक की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- (छ) असफल/अनर्ह आवेदकों को उनके द्वारा जमा पंजीकरण राशि का प्रतिदेय यथावधि सम्बंधित बैंक द्वारा आवंटन हेतु किये गये ड्रा की तिथि से 60 दिनों के अन्दर बिना किसी ब्याज के किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में योजना के अंतर्गत जमा किया गया आवेदन प्राधिकरण की किसी भी भावी योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं जमा धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। केवल आवेदन प्रपत्र का पंजीकरण कराये जाने से प्राधिकरण फ्लैट के आवंटन हेतु बाध्य नहीं है।
- (ज) यदि किसी दैवीय विपदा तथा/अथवा प्राधिकरण के नियन्त्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप यदि प्राधिकरण फ्लैटो का आबंटन/कब्जा देने में असमर्थ है तो सम्पूर्ण पंजीकरण राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आबंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी उसका नियमानुसार प्रतिदेय कर दिया जायेगा परन्तु कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- (झ) प्राधिकरण किसी भी समय फ्लैट की स्थिति के परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा ।
- (ण) यदि देय/अतिदेय धनराशि के भुगतान के अंतिम दिन सरकारी अवकाश/रविवार होने पर भुगतान हेतु आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि होगी ।
- (ट) प्राधिकरण आबंटी/पट्टेदार के जोखिम पर प्रत्येक धनराशि का भुगतान स्वीकार करेगा । किसी भुगतान के स्वीकार किये जाने से प्राधिकरण के इस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो देय राशि जमा न करने पर अथवा आबंटन पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर कर सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

9 पट्टे की अवधि:-

भवन/फ्लैट का आवंटन "जैसा है, जहां है" के आधार पर 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर किया जायेगा। जिसके लिए आवंटी को पट्टा/विक्रय प्रलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण कराकर कब्जा प्राप्त करना होगा तथा भू-भाटक की राशि का भुगतान भी आवंटी निर्धारित अवधि में करेगा।

10 पट्टा/विक्रय प्रलेख का निष्पादन एवं कब्जा:-

आवंटी को विधिक प्रलेखों का नियत अवधि में तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू स्टाम्प शुल्क दर पर निष्पादित/पंजीकृत कराकर भवन का कब्जा लेना होगा। विधिक प्रलेखों के निष्पादन एवं कब्जा लेने में विफल होने की दशा में आवंटी के लिखित अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा समयवृद्धि दिये जाने पर रू0 50/100 प्रतिदिन की दर से भुगतान विलम्ब अवधि के लिए आवंटी को करना अनिवार्य होगा। नियत/विस्तारित अवधि के पश्चात विधिक प्रलेखों को निष्पादित/पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा विहित नियम एवं शर्तों के अनुसार आवंटन का निरस्तीकरण एवं जमा राशि को नियमानुसार कटौती किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

11 बंधक रखना:-

द्वितीय पक्ष प्राधिकरण की पूर्वानुमति से भवन(भूमि घटक सहित) के अनुरक्षण आदि के लिए (कब्जे रहित) केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभाग/संगठन/अधिसूचित बैंक/जीवन बीमा निगम/गृह विकास वित्तीय निगम (HDFC) जैसे सार्वजनिक उपक्रम/वित्तीय संस्थाओं आदि को बंधक कर सकता है। यदि यह अनुमति प्रदान की जाती है तो इस संदर्भ में जो भी प्राधिकरण द्वारा उस समय अधिरोपित शुल्क, नियम व शर्त होगी उन्हे मानने को द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

12 दुरुपयोग/अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन इत्यादि:-

- (क) आवंटी/पट्टेदार उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत समय समय पर पारित किये गये नियमों व विनियमों का पालन करने को बाध्य होगा।
- (ख) भवन/फ्लैट का प्रयोग आवास के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उप विभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढाँचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन अनुमति नहीं है। उपरोक्त के उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जायेगा। ऐसी दशा में

आवेदक के हस्ताक्षर

भवन/फ्लैट के विरुद्ध कुल जमा धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने में हुआ व्यय भी आबंटी से वसूल किया जायेगा। यदि आबंटी आवास का प्रयोग इस प्रकार करता है जो कि आस पास एवं/ अथवा पडोस के लोगों के लिए असुविधाजनक हो तो प्राधिकरण आवंटित आबंटन निरस्त कर सकता है।

13 अन्य नियम व शर्तें -

- 13.1 (क) अग्रिम लीज रेन्ट (भू-भाटक) जमा करने के वर्ष से आगामी 10 वर्षों के लिए होगा और प्रत्येक 10 वर्ष बाद लीज रेन्ट (भू-भाटक) में 50% की वृद्धि हो जायेगी। वर्तमान में एक मुश्त भू-भाटक वार्षिक भू-भाटक के 15 गुना जमा किया जा सकता है। एक मुश्त भू-भाटक का भुगतान जमा कराये जाने की तिथि को उस दिन तक देयत वार्षिक भू-भाटक का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही मान्य होगा। इस संबंध में आवंटी के किसी भी अन्यथा अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त में यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो आवंटी पर बाध्यकारी होगा।
- (ख) यदि कोई सम्पत्ति हस्तांतरित होती है तो हस्तांतरण की दिनांक से उस पर प्राधिकरण के नियम व शर्तों के अनुसार पुनरीक्षित दर से वार्षिक लीजरेन्ट(भूभाटक) देय होगा।
- 13.2 (क) आबंटी द्वारा परिम्पत्ति के विरुद्ध बैंक में जमा तिथि(जमा चालन पर अंकित तिथि) को ब्याज गणना हेतु धनराशि जमा तिथि माना जायेगा।
- (ख) आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि को पहले देय ब्याज में तथा उसके बाद देय किस्त एवं वार्षिक भू-भाटक में क्रमशः समायोजित किया जायेगा। इस संबंध में आवंटी के किसी भी अनुरोध अथवा अनुदेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ग) आवंटन के पश्चात सभी भुगतान नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण/नौएडा के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर द्वारा जो दिल्ली/नई दिल्ली/नौएडा पर देय हो, के रूप में अधिकृत बैंक शाखाओं में आवंटी जमा किये जायेंगे। इस संबंध में आवश्यक चालान नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकेंगे। बैंक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 13.3 सभी उद्देश्य के लिए पट्टा-सह विक्रय प्रलेख के निष्पादन की तिथि को अधिभोग की तिथि माना जायेगा।
- 13.3 (अ) आबंटी/पट्टेदार आबंटित/पट्टे के फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने एवं सम्पूर्ण/ अप टू डेट किस्तों इत्यादि के भुगतान से पूर्व अन्तरित नहीं करेगा। कब्जा प्राप्त एवं पूर्ण भुगतान/अप टू डेट किस्तों के भुगतान के उपरान्त अंतरण हेतु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकरण फ्लैट के अन्तरण हेतु अनुरोध को को

आवेदक के हस्ताक्षर

बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है। यदि अंतरण का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो इस स्थिति में निर्धारित अंतरण शुल्क देय होगा तथा अंतरण के समय अंतरण ज्ञाप में वर्णित नियम व शर्तों के अंतरक तथा अंतरणी संयुक्त तथा/अथवा पृथक रूप में मानने को बाध्य होंगे। यदि भविष्य में प्राधिकरण की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह सभी आवंटियों पर बाध्यकारी होगा।

(ब) फ्लैट का आबंटन किये जाने पर यदि आबंटी अपने साथ वारिसान/पति-पत्नी-पुत्र-पुत्री को सह आबंटी बनाना चाहता है तो सर्वप्रथम मूल आबंटी के पक्ष में पट्टा प्रलेख का निष्पादन किया जाएगा तदोपरान्त सह आबंटी नियमानुसार बनाया जा सकता है।

- 13.4 आबंटित फ्लैट केवल आवासीय प्रयोग हेतु होगा। किसी व्यवसायिक कार्यालय/होम ओकूपेशन चलाने/स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। पशु/वाहन को फ्लैट/सांझे क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं होगी। पट्टेदार कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो जन साधारण एवं पड़ोसियों के लिए कंटक हो अथवा वातावरण दूषित करें।
- 13.5 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट और/अथवा साझा सुविधाओं एवं क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं करेगा/पट्टेदार निर्मित ढाचें में कोई परिवर्तन/तथा/अथवा अतिरिक्त निर्माण नहीं करेगा। आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट में कोई उपखण्ड तथा/अथवा आबंटित फ्लैट को अन्य फ्लैट/क्षेत्र से समामेलन नहीं करेगा।
- 13.6 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट के अतिरिक्त किसी क्षेत्र का प्रयोग/अधिभोग की माँग नहीं करेगा। जहाँ कहीं खुले क्षेत्र का अधिभोग दिया गया है, वहाँ पट्टेदार किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा/अथवा स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
- 13.7 आबंटी/पट्टेदार आबंटित फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा। यदि आबंटित फ्लैट ऐसे परिसर में स्थित है जहाँ अन्य फ्लैट भी निर्मित है तो आबंटी/पट्टेदार अन्य आबंटियों के साथ एक अनुरक्षण समिति की संरचना करेगा जो पूर्ण परिसर को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में अनुरक्षण सुनिश्चित करेगी। आबंटी/काबिजदार को उक्त अनुरक्षण समिति का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अनुरक्षण हेतु आने वाले व्ययों को समिति अपने बाईलाज के अनुसार सदस्यों से प्राप्त करेगी। यदि प्राधिकरण के अनुसार किसी क्षेत्र का उचित अनुरक्षण नहीं है तब प्राधिकरण अनुरक्षण करवा कर जो भी व्यय होगा वह आबंटी/पट्टेदार से संयुक्त रूप में तथा/अथवा पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करेगा/अनुरक्षण तथा/अथवा ठीक करने पर व्यय के सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.8 (क) आबंटी को निर्धारित प्रलेखों के अनुसार नियत अवधि में पट्टा सह विक्रय/तत्प्रचलित उ0प्र0 शासन द्वारा लागू स्टाम्प शुल्क दर पर निष्पादित/पंजीकृत कराकर फ्लैट का कब्जा लेना होगा। विफल होने की किसी भी दशा में आबंटी के लिखित अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा समयवृद्धि दिये जाने पर

आवेदक के हस्ताक्षर

एल0आई0जी0 पर रू0 50/- तथा टाइप-II, एम0आई0जी0, एच0आई0जी0 एवं डुपलैक्स पर रू0 100/- प्रतिदिन का भुगतान विलम्ब अवधि के लिए आबंटी को देना होगा । नियत/विस्तारित अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा नियम तथा शर्तों के अनुसार आबंटन का निरस्तीकरण एवं जमा राशि को नियमानुसार जब्त/सर्मपण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) पट्टा सह विक्रय निष्पादन एवं पंजीकरण करने हेतु स्टाम्प शुल्क उपरोक्तानुसार आबंटी द्वारा वहन किये जायेगे । इस सम्बन्ध में पंजीकरण शुल्क,प्रतियां बनवाना एवं अन्य सम्बन्धित आकस्मिक व्यय आबंटी द्वारा वहन किये जायेगे । आबंटी को अचल सम्पत्ति के अंतरण के सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी,जो इसके लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा लगायी जायेगी तथा/अथवा अन्य शुल्क/प्रभार का वहन भी करना होगा ।

13.9 इसके अतिरिक्त आबंटी/पट्टेदार फ्लैट के सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये करो तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, भले ही यह प्रभार इस भूखण्ड पर जिस पर फ्लैट बने है अथवा फ्लैट के सम्बन्ध में लगाये गये हो ।

13.10 आबंटी/पट्टेदार का यह दायित्व होगा की प्राकृतिक विपदा,अग्नि,दंगो इत्यादि के विरुद्ध फ्लैट का बीमा करवाए। इस सम्बन्ध में प्रीमियम देने के लिए पट्टेदार बाध्य होगा ।

13.11 आबंटी /पट्टेदार पानी, सीवर व विधुत कनेक्शन अपने व्यय पर सम्बन्धित विभाग/कार्यालय से प्राप्त करेगा।

13.12 प्राधिकरण की सभी/कोई भी देय राशि भू-राजस्व के रूप में प्राप्त की जा सकती है ।

13.13 आबंटित फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानो,कोयला,खनिजो,प्रक्षालन वस्तुओ,मिटटी का तेल,खादानो इत्यादि पर और इस सम्बन्ध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने,उसे प्राप्त करने,और वहाँ से हटाने के लिए व आवश्यक समझेगे । आवासीय फ्लैट के तल पर किसी सीधे सहारे (Vertical support) अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी फ्लैट के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा । इसके लिए निर्मित किसी भी फ्लैट के सम्बन्ध में उक्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आबंटी/पट्टाधारी को करेगा । समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जायेगा, और यह निर्णय आबंटी/पट्टाधारी को भी मान्य होगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- 13.14 आबंटी/पट्टाधारक को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना फ्लैट को बन्धक रखने का अधिकार नहीं होगा। फ्लैट का पूर्ण भुगतान करने हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/ नेशनल हाउसिंग बैंक से अधिकृत वित्तीय संस्थानों, सरकारी विभाग/संस्थाओं तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा आबंटियों को बन्धक की अनुमति प्रदान की जा सकती है यह अनुमति सर्वप्रथम आबंटित फ्लैट के बकाया कुल मूल्य (ब्याज सहित) के लिए ही अनुमान्य होगी।
- 13.15 आबंटी/पट्टेदार उ०प्र० औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत पारित किये गये नियमों व विनियमों अथवा निर्देशों का पालन करने को बाध्य होगा।
- 13.16 फ्लैट का प्रयोग आवास के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आबंटी परिसर को उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढाचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन करने की कार्यवाही, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। छत पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। उपरोक्त के उल्लंघन करने पर आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा। ऐसी दशा में फ्लैट के सापेक्ष जमा धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने में हुआ व्यय भी आबंटी से वसूल किया जायेगा। यदि आबंटी फ्लैट का प्रयोग इस प्रकार करता है जो कि आस-पास एवं/अथवा पड़ोस के लोगों के लिए असुविधाजनक (Nuisance) हो, तो प्राधिकरण आबंटी का आबंटन निरस्त कर सकता है। निरस्तीकरण की दशा में कब्जा वापिस प्राप्त कर फ्लैट के सापेक्ष में जमा समस्त धनराशि के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 13.17 योजना की विवरणिका/आबंटन/पट्टा-सह-विक्रय प्रलेख की किसी भी शर्त एवं नियमों के उल्लंघन किये जाने की दशा में अथवा मिथ्यारोपण/मिथ्या कथन अथवा धोखे के आधार पर आबंटन प्राप्त किये जाने की दशा में प्राधिकरण आबंटन निरस्त कर विधिक प्रलेखों का पर्यावसान/निरस्तीकरण कर फ्लैट का कब्जा वापिस ले लेगा। ऐसी स्थिति में फ्लैट के सापेक्ष में जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में समग्रहरित कर ली जायेगी। ब्याज, अर्थदण्ड, पट्टा किराया, पुनर्स्थापना शुल्क, हस्तान्तरण शुल्क इत्यादि के मद में जमा राशि न तो वापिस की जायेगी और न ही समायोजित की जायेगी, बल्कि पूर्ण रूप में प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 13.18 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि समय-समय पर आबंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करते हैं तो वे आबंटी पर बाध्यकारी होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

13.19 पंजीकरण, आबंटन, पट्टे के इन नियम व शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और आबंटनी के लिए बाध्यकारी होगा ।

13.20 किसी भी विवाद का निपटारा सक्षम जिला न्यायालय, गौतम बुद्ध नगर तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार में होगा ।

13.21 विशिष्ट श्रेणियों पर लागू होने वाली विशेष शर्तें:-

(क) नौएडा में स्थापित वैध कार्यशील औद्योगिक इकाईयां-17.5 प्रतिशत

(i) नौएडा/एन.ई.पी.जैड में स्थित आवंटित/हस्तांतरण औद्योगिक इकाई के भवन/शेड पर पट्टा प्रलेख निष्पादन कर कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा दिनांक 31.07.2020 तक इकाई कार्यशील घोषित कर दी गई हो । इकाई का कार्यशील प्रमाण पत्र के प्रारूप को भरकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।

(ii) इकाई ने औद्योगिक परिसंपत्ति के सापेक्ष दिनांक 31.07.2020 तक देयता, भू-भाटक सहित का भुगतान कर दिया हो । इकाई को प्राधिकरण द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र प्रारूप भरकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसे प्राधिकरण संबंधित लेखा विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।

(iii) यदि आवेदन औद्योगिक इकाई के एकल स्वामी/साझेदारी/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक द्वारा किया जाता है तो निम्न शर्तें पूर्ण करनी होंगी:-

(iv) औद्योगिक इकाई में प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/साझेदार एकल स्वामी होना चाहिए ।

(अ) ऐसे औद्योगिक इकाई के प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/साझेदार एवं एकल स्वामी जो अनुसूचित जाति/ जनजाति की श्रेणी में आते हैं उनको प्राधिकरण बोर्ड की 164वीं बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गत 18% होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ख) किराये के भवन में कार्यरत औद्योगिक इकाई

औद्योगिक विभाग नौएडा की अनुमति से किराये पर कार्यरत इकाईयां जो निम्न शर्तें पूर्ण करती हैं आवासीय भवन आवेदन हेतु पात्र होंगी:-

(i) औद्योगिक इकाई को नौएडा के स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील होना चाहिए ।

आवेदक के हस्ताक्षर

- (ii) किराये पर कार्यशील औद्योगिक इकाई ने दिनांक 31.07.2020 का कार्यशील प्रमाण पत्र किराये की अनुमति औद्योगिक विभाग, नौएडा से प्राप्त कर ली हो । औद्योगिक विभाग, नौएडा द्वारा जारी किराये की अनुमति पत्र इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (iii) किराये पर कार्यशील औद्योगिक इकाई द्वारा नौएडा में औद्योगिक भूखण्ड/शेड पर पट्टा प्रलेख पर आवंटन/ हस्तांतरण प्राप्त किया हो तथा योजना की प्रारम्भ की तिथि तक पट्टा प्रलेख आदि का निष्पादन कराकर कब्जा प्राप्त कर लिया हो ।
- (iv) किराये पर कार्यरत कार्यशील औद्योगिक इकाई द्वारा आवेदन की तिथि पर पट्टे पर आवंटित औद्योगिक भूखण्ड के सापेक्ष दिनांक 31.07.2020 तक देय समस्त धनराशि(भू भाटक सहित)का भुगतान योजना के प्रारम्भ की तिथि तक कर दिया हो । औद्योगिक लेखा विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र का प्रारूप को भरकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।
- (v) ऐसे औद्योगिक इकाई के प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/साझेदार एवं एकल स्वामी जो अनुसूचित जाति/ जनजाति की श्रेणी में आते है उनको प्राधिकरण बोर्ड की 164वी बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गण 18 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (vi) औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत यदि आवेदनकर्ता कंपनी/फर्म है तो उसकी वरिष्ठता का निर्धारण उसकी कार्यशीलता की तिथि से किया जायेगा । यदि आवेदनकर्ता कंपनी/फर्म के निदेशक/साझेदार है तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण कंपनी/फर्म में उनके निदेशक/साझेदार स्वीकार होने अथवा इकाई के कार्यशील होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जायेगा ।

टिप्पणी:- औद्योगिक संवर्ग हेतु सफल आवेदकों का भवन संवर्ण-वार चयन, वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा, जो नौएडा के औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा जारी कार्यशीलता-पत्र में अंकितानुसार उत्पादन की तिथि या उस तिथि को जब निदेशक/ स्वामी/ साझेदार पर लिया गया जो बाद में होगी, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । यदि उत्पादन के प्रारम्भ जारी होने की तिथि अंकित नहीं होती है तो कार्यशीलता-पत्र जारी होने की तिथि को ही उत्पादन की तिथि माना जायेगा । जहाँ तिथियां समान रहती है, वरिष्ठता मैनुअल लॉटरी द्वारा निर्धारित की जायेगी। विनिर्दिष्ट भूखण्ड संख्या का आवंटन मैनुअल लॉटरी द्वारा किया जायेगा । आवेदकों की पात्रता/वरिष्ठता, नौएडा के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ग, घ) 1. अर्ह कार्यशील वाणिज्यिक/संस्थागत प्रतिष्ठान-10 प्रतिशत

- (i) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा भूखण्ड/दुकान का कब्जा एवं पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरांत दिनांक 31.07.2020 तक वाणिज्यिक परिसंपत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा इकाई को वाणिज्यिक विभाग द्वारा कार्यशील घोषित कर दिया हो । वाणिज्यिक/संस्थागत विभाग द्वारा जारी कार्यशीलता प्रमाण पत्र के प्रारूप को भरकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।
- (ii) वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा दिनांक 31.07.2020 तक की देय धनराशि (भू-भाटक सहित) का भुगतान कर दिया हो । वाणिज्यिक/संस्थागत लेखा विभाग द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र के प्रारूप को भरकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।
- (iii) वाणिज्यिक परिसंपत्ति के पट्टाधारक तथा उनके प्रत्येक कार्यशील उप-पट्टाधारक जिन्होंने व्यवसायिक भवन के पट्टाधारक से दिनांक 31.07.2020 तक भवन लिया हो तथा प्राधिकरण के माध्यम से उप-पट्टाधारक अधिकार तथा दिनांक 31.07.2020 तक उप-पट्टा निष्पादन कर लिया हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे ।
- (iv) यदि आवेदन वाणिज्यिक परिसंपत्ति के एकल स्वामी/साझेदार/निदेशक ने आवासीय भवन प्राप्त कर लिया है तथा वाणिज्यिक इकाई का हस्तान्तरण कर दिया गया है ऐसी हस्तान्तरित वाणिज्यिक इकाई के एकल स्वामी/ साझेदार/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- (v) वाणिज्यिक इकाईयां जिनके पूर्व एकल स्वामी/साझेदार/निदेशक ने आवासीय भूखण्ड प्राप्त कर लिया है तथा वाणिज्यिक इकाई का हस्तान्तरण कर दिया गया है ऐसी हस्तान्तरित वाणिज्यिक इकाई के एकल स्वामी/साझेदार/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- (vi) यदि इकाई के पास एक से अधिक वाणिज्यिक परिसंपत्ति है तो इकाई के एकल स्वामी/साझेदार/प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक एक ही आवासीय भवन हेतु पात्र होंगे ।
- (vii) वाणिज्यिक प्लेटफार्म के आवंटी केवल निर्मित आवासीय फ्लैट्स हेतु पात्र होंगे अन्य वाणिज्यिक परिसंपत्ति के आवंटी सभी प्रकार के भवन हेतु पात्र होंगे ।
- (viii) ऐसे अर्ह कार्यशील वाणिज्यिक इकाई के प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/साझेदार एवं एकल स्वामी जो अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आते हैं उनको प्राधिकरण

आवेदक के हस्ताक्षर

बोर्ड की 164वीं बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गत 18 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(घ) दिनांक 31.07.2020 तक निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाले संस्थागत प्रतिष्ठान आवेदन के पात्र होंगे ।

- (i) संस्थान द्वारा दिनांक 31.07.2020 तक आवंटन प्राप्त कर पट्टा प्रलेख निष्पादन के उपरांत कब्जा ग्रहण कर लिया हो तथा कार्यशील घोषित हो चुकी हों । संस्थागत विभाग द्वारा जारी होने वाला कार्यशील प्रमाण पत्र का प्रारूप आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।
- (ii) संस्थान द्वारा दिनांक 31.07.2020 तक ही देय राशि(भू-भाटक सहित)का भुगतान कर दिया हो । संस्थागत लेखा द्वारा जारी होने वाला अदेयता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसे संबंधित विभाग से सत्यापित करवा लिया जायेगा ।
- (iii) यदि आवेदन संस्थान के निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम से किया जाता है तो उनका नाम प्राधिकरण के संस्थागत विभाग के रिकार्ड में दिनांक 31.07.2020 तक दर्ज कर लिया गया हो ।
- (iv) यदि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थागत विभाग के रिकार्ड में दिनांक 31.07.2020 तक दर्ज होना अनिवार्य होगा ।
- (v) ऐसे संस्थान/उनके निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य भूखण्ड हेतु पात्र नहीं होंगे जो संस्थान हस्तांतरण द्वारा लिया गया हो तथा जिसके पूर्व स्वामी को आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित हो चुका हो ।
- (vi) यदि संस्थान के पास एक से अधिक परिसम्पत्तियां है तो उनकी पात्रता एक ही आवासीय भवन की होगी चाहे संस्थान के नाम हो या वैध निदेशक/ट्रस्टी/कार्यकारी सदस्य के नाम हो ।
- (vii) चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान तथा इनके ट्रस्टी/निदेशक/सदस्य आदि आवंटन हेतु अर्ह नहीं होंगे ।

टिप्पणी: व्यावसायिक/संस्थागत संवर्ग हेतु सफल आवेदकों का भवन श्रेणीवार चयन, संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(viii) ऐसे अर्ह वैद्य कार्यशील संस्थागत प्रतिष्ठान इकाई के प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/साझेदार एवं एकल स्वामी जो अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आते हैं उनको प्राधिकरण बोर्ड की 164वीं बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गत 18 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(ड.) अर्ह ग्रामवासी जिनकी भूमि नौएडा के लिए अर्जित की गई है 17.5 प्रतिशत

ऐसे मूल काश्तकार ग्रामवासी जो निम्न शर्तों को पूर्ण करते हैं, आवेदन हेतु पात्र होंगे ।

- (i) आवेदक अनुबंध करने हेतु सक्षम हो। अव्यस्क आवेदक आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (ii) नौएडा द्वारा अर्जित भूमि के ऐसे खातेदार/सह-खातेदार अथवा उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके वारिसान जिनकी भूमि नौएडा के विकास के लिये दिनांक 31.03.1997 तक अर्जित व कब्जा प्राप्त की जा चुकी हो जिन्होंने अर्जित भूमि का पूर्ण प्रतिकर दिनांक 31.07.2020 तक प्राप्त कर लिया हो, ही आवेदक हेतु पात्र होंगे।
- (iii) उनकी समस्त अर्जित भूमि में से किसी भी पूर्ण अथवा आंशिक भाग के संबंध में किसी न्यायालय में अर्जन निरस्तीकरण अथवा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि के विरुद्ध वाद लम्बि न हो।
- (iv) वे खातेदार/वारिसान जिनका/जिनके पूर्वजों का नाम 1382 फसली में राजस्व अभिलेखों में दर्ज था अथवा 1359 फसली के पूर्व से सिरदार के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहे हों व भूमि अर्जन से पूर्व राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज रहे हों, आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- (v) ग्रामीण श्रेणी के खाते के समस्त खातेदार/सह-खातेदार अथवा उनकी मृत्यु हो जाने की दशा में उनके वारिसान जिन्हें पूर्व में भू-खण्ड/भवन आवंटित नहीं हुआ है, आवेदन हेतु पात्र होंगे परन्तु शर्त यह है कि किसी भी खातेदार/सह-खातेदार/वारिसान विशेष को नौएडा के सम्पूर्ण अधिसूचित क्षेत्र में उसकी अर्जित भूमि के समस्त खातों के सापेक्ष केवल एक ही भू-खण्ड/भवन देय होगा।
- (vi) ग्रामीण श्रेणी के खाते के समस्त खातेदार/सह-खातेदार अथवा उनकी मृत्यु हो जाने की दशा में उनके वारिसान प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में भू-खण्ड/भवन प्राप्त कर चुके हों तो ऐसे आवंटी को छोड़ कर शेष खातेदार/सह-खातेदार/वारिसान भवन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- (vii) मूल खातेदार/सह-खातेदार अथवा उनकी मृत्यु हो जाने की दशा में उनके वारिसान, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई हो, की मृत्यु हो जाने की दशा में उत्तराधिकारी भी

आवेदक के हस्ताक्षर

भवन आवंटन हेतु पात्र होंगे। उत्तराधिकारियों की पात्रता जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-171, 172 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेंगी। केवल धारा 171, 172 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत विधि मान्य उत्तराधिकारी ही आवंटन हेतु पात्र होंगे।

- (viii) ऐसे खातेदार/सह-खातेदार अथवा उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके वारिसान जिनकी भूमि नौएडा द्वारा अधिग्रहित की गई है, अधिग्रहित भूमि के क्षेत्रफल से अधिक आवासीय भवन के आवंटन हेतु अर्ह नहीं होंगे ।
- (ix) जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप में केवल धारा 171, 172 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाण ही मान्य होंगे। किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी/ निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा । आवेदन पत्र के साथ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (x) ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करते समय आवेदक को नौएडा के भूलेख विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर जारी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, जिसमें अवैध कब्जा की स्थिति, अधिग्रहित जमीन का प्रतिकर का भुगतान लेने, भूमि अधिग्रहण की तिथि तथा विवाद से संबंधित विवरण आदि का उल्लेख हो, प्रस्तुत करना होगा ।
- (xi) ग्रामीण श्रेणी के आवेदक भूलेख विभाग से निर्धारित प्रारूप पर अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र लेने हेतु सभी निर्धारित दस्तावेज भूलेख विभाग में जमा करायेंगे ।
- (xii) ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि जिस खाते के सापेक्ष उनके द्वारा आवेदन किया जा रहा है उसके खातेदार एवं उसके किसी भी वारिस द्वारा किसी भी अर्जित भूमि के सापेक्ष प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में कोई भूखण्ड/भवन प्राप्त नहीं किया गया है ।
- (xiii) ऐसे ग्रामवासी जिनकी भूमि नौएडा के विकास हेतु अर्जित की गई जो अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी में आते हैं उनको प्राधिकरण बोर्ड की 164वीं बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गत 18 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणी:- ग्रामीण संवर्ग के आवेदकों का भवन श्रेणीवार चयन वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा जो कि नौएडा को भूमि के कब्जे को दिये जाने की तिथि से निश्चित होगी । कब्जे की तिथियाँ समान होने की दशा में वरिष्ठता लाटरी द्वारा निर्धारित की जायेगी । विनिर्दिष्ट भवन संख्या का आवंटन मेनुअल लाटरी द्वारा किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदको की पात्रता/वरिष्ठता नौएडा के भूलेख विभाग द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी और वह आवेदको पर बाध्यकारी होगी ।

(च) अर्ह प्राधिकरण के नियमित कर्मचारी/अधिकारी-05 प्रतिशत

- (i) इस योजना में प्राधिकरण के अर्ह कर्मचारी/अधिकारी से तात्पर्य प्राधिकरण के उन कर्मचारियों से है जो योजना की अंतिम तिथि तक नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियमित कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों में से है । इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अर्हता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- (ii) ऐसे प्राधिकरण के नियमित अधिकारी/कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/ जनजाति की श्रेणी में आते हैं उनको प्राधिकरण बोर्ड की 164वी बैठक के निर्णयानुसार विहित श्रेणी के अंतर्गत 18 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण दिया जायेगा, जिस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (iii) प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी जिनको पूर्व की योजनाओं में प्राधिकरण द्वारा भवन/भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे ।
- (iv) नौएडा प्राधिकरण के कर्मचारी/अधिकारी जिन्हें उक्त श्रेणी के अंतर्गत भवन आवंटित होने की दशा में 10 वर्षों तक भवन का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे ।

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना कोड संख्या 2020-21 (एच) (01)
औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत प्रतिष्ठान के अंतर्गत आवेदन की अर्हता का
प्रमाण-पत्र

कार्यालय महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक (औ./वा./संस्था.)/
विशेष कार्याधिकारी, नौएडा

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा ।

- 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी/पुत्री
निवासी है
जो निदेशक/साझेदारी/एकल स्वामी, औद्योगिक इकाई/वाणिज्यिक/संस्थान/प्रा.लि./
पब्लिक लि. कंपनी संख्या सैक्टर नौएडा क्षेत्र। औद्योगिक
इकाई/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/संस्थान कार्यशील है। मैसर्स/श्री/श्रीमती
भवन के आबंटन हेतु अर्ह है।
- 2 श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी है जो निदेशक/साझेदारी/एकल
स्वामी, औद्योगिक इकाई/ मैसर्स इकाई संख्या
..... सैक्टर में किराये पर है जिनको इकाई
संख्या.....दिनांक को औद्योगिक इकाई/ शैड संख्या
..... सैक्टर आबंटित है, जिसके निर्देशक/ साझेदार/ एकल स्वामी है।
- 3 अभ्यर्थी/ आवेदक/ कंपनी/ संस्थागत के द्वारा अधिकृत किये गये है। श्रीमान/श्रीमती
..... पुत्र/ पत्नी/ पुत्री
..... निवासी कंपनी द्वारा
(अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी) है।

हस्ताक्षर एवं मोहर

विशेष अधिकारी/ महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक (औ./ वा./ संस्था)

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना कोड संख्या 2020-21 (एच) (01)
प्राधिकरण कर्मचारी/ अधिकारी के अंतर्गत आवेदन की अर्हता का प्रमाण-पत्र

कार्यालय सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) नौएडा

सेवा में,
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
कोड संख्या प्राधिकरण में दिनांकसे पद पर कार्यरत है।
श्री/श्रीमती/कु० नियमित कर्मचारी है।
अतः श्री/श्रीमती/कु० भवन योजना कोड संख्या 2020-21
(एच) (01) आबंटन हेतु अर्ह है।

हस्ताक्षर एवं मोहर
सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना कोड संख्या 2020-21 (एच) (01)
आरक्षित श्रेणी हेतु
'कोई भुगतान अवशेष नहीं' (अदेयता) का प्रमाण-पत्र

कार्यालय लेखाधिकारी (औ./ वा./संस्था.) नौएडा

सेवा में,
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा।

मैसर्स आबंटी /भूखण्ड/शैड संख्या
सैक्टर उक्त के विरुद्ध देय धनराशि का भुगतान कर दिया है साथ ही
देय भू-भाटक का भुगतान दिनांक तक कर चुके है। उनके विरुद्ध कोई देय
धनराशि अवशेष नहीं है।

हस्ताक्षर एवं मोहर
लेखाधिकारी (औ./वा./संस्था.)
नौएडा

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना कोड संख्या 2020-21 (एच) (01)
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन की अर्हता का प्रमाण-पत्र

कार्यालय प्रशासनिक अधिकारी/ तहसीलदार, नौएडा

सेवा में,
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०
पुत्र श्री निवासी
..... की ग्राम
के खाता संख्या खसरा संख्या की अधिग्रहण नौएडा
द्वारा दिनांक को उठा लिया गया है।

श्री तथा उसके किसी उत्तराधिकारी ने नौएडा द्वारा
अधिग्रहित किसी भी भूमि पर अनाधिकृत /अवैध कब्जा नहीं किया है। अधिग्रहित भूमि के संबंध
में किसी भी न्यायालय में नौएडा के विरुद्ध अर्जन निरस्तीकरण का कोई वाद लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम:

प्रशासनिक अधिकारी नौएडा
तहसीलदार नौएडा
कार्यालय की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर

योजना कोड संख्या 2020-21 (एच) (01)
ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन हेतु वारिस प्रमाण-पत्र

कार्यालय जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर

तहसीलदार की जाँच रिपोर्ट दिनांक के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र श्री निवासी परगना तहसील जिला- गौतमबुद्ध नगर की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है। तहसीलदार की आख्या के आधार पर मृतक स्व० श्री के धारा- 171-172 ज.वि.अधि. के अंतर्गत निम्नलिखित वारिस है।

क्र. सं.	वारिस का नाम	पुत्र/पुत्री/पत्नी	विवाहित/अविवाहित	मृतक के संबंध	आयु लगभग
1					
2					
3					
4					
5					
6					

क्रमांक से तक के वारिस तसदीक किये जाते हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम: जिलाधिकारी/ उप जिलाधिकारी
 गौतमबुद्ध नगर

कार्यालय की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक:.....

फार्म मूल्य रू0 1000/-अनुलिपि सहित

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन,सैक्टर-06,नौएडा -201301

योजना कोड संख्या: योजना कोड सं0-2020-21 (एच) (01)
पंजीयन प्रारम्भ होने की तिथि: 18.08.2020
पंजीयन समाप्ति की तिथि: 17.09.2020
विभिन्न आवासीय सैक्टरों में आबंटन हेतु उपलब्ध
एल0आई0जी0/टाइप-II/एम0आई0जी0/एच0आई0जी0/डुपलैक्स फ्लैट/भवन के
जैसा है जहाँ है के आधार पर फ्लैट आबंटन की योजना

आवेदक का इसी
प्रपत्र पर बैंक द्वारा
सत्यापित छायाचित्र

आवेदन - प्रपत्र

1. आवेदक का पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में)
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम
- (यदि आवेदक पब्लिक लि. कम्पनी/साझेदारी फार्म/प्रा.लि./ट्रस्ट हो तो)
3. आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पिता/पति का नाम
4. वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)
-
- पिन कोडटेलीफोन नम्बर
- स्थायी पता
-
- पिन कोडटेलीफोन नम्बर
5. आयु जन्म तिथि
6. अर्हता श्रेणी कोड(औद्योगिक-10, व्यावसायिक-20, संस्थागत-30, ग्रामवासी-
40, नौएडा कर्मचारी-50)
7. पंजीकरण राशि की वापिसी हेतु आवेदक के बैंक खाते का विवरण
- बैंक का नाम
- बैंक शाखा का पता
8. आयकर खाता संख्या (जहाँ लागू हो)
9. जमा की गई पंजीकरण धनराशि का विवरण (राशि).....
- पेय ऑर्डर/ देय मांग ड्राफ्ट/ चैक संख्या दिनांक
- देय बैंक का नाम व पता
10. यदि आवेदक औद्योगिक इकाई/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान/ संस्थान का एकल स्वामी/
साझेदार/प्रबंधक निदेशक/ पूर्ण कालीन निदेशक/ ट्रस्टी है तो इकाई प्रतिष्ठान/ संस्था का नाम
एवं पूरा पता
-

आवेदक के हस्ताक्षर

11. यदि औद्योगिक इकाई किराये की परिसम्पत्ति पर कार्यरत है तो इकाई को पट्टे पर आबंटित भूखण्ड का विवरण
12. इकाई/ प्रतिष्ठान/ संस्था का गठन एवं प्रकार
13. व्यावसायिक उत्पादन होने की तिथि/ संविधान प्रतिवर्तन/ आवेदक को निदेशक/ साझेदार/ स्वीकार किये जाने के संबंध में नौएडा के पत्र की तिथि (नोट: केवल वही आवेदक अर्ह होंगे जिनकी इकाई की कार्यशीलता दिनांक 31/12/2013 तक घोषित की गई हो)
14. प्रा.लि./ पब्लिक लि./ भागीदारी फर्म या उसके वर्तमान/ पूर्व निदेशक/ साझेदार/ एकल स्वामी/ ट्रस्टी/ उनके पति/ पत्नी/ आश्रित बच्चों को आबंटित हो चुके आवासीय भवन/फ्लैट/भूखण्ड का ब्यौरा

क्र.सं.	आबंटी का नाम	आबंटन की तिथि	भूखण्ड/भवन/फ्लैट की सं0, ब्लॉक, सैक्टर
1.			
2.			
3.			

15. अर्ह ग्रामीणवासी की दशा में जिनकी भूमि प्राधिकरण विकास हेतु अर्जित की गई है।
 (I) खाता संख्या खसरा संख्या ग्राम
 भूमि का क्षेत्रफल सह खातेदार का नाम (अगर है तो)
 भूमि अधिग्रहण/कब्जे की तिथि प्रतिकर मिलने की तिथि
 उक्त खाते/खसरे के खातेदार तथा उन पर आश्रित बच्चों के नाम जिनको नौएडा क्षेत्र में भवन/फ्लैट/आवासीय भूखण्ड का आबंटन किया गया है का विवरण.....

क्र.सं.	आबंटी का नाम	आबंटन की तिथि	भूखण्ड/भवन/फ्लैट की सं0, ब्लॉक, सैक्टर
1.			
2.			
3.			

16. अर्ह प्राधिकरण के कर्मचारी/ अधिकारी की दशा में प्राधिकरण में योगदान की तिथि
 तथा कोड संख्या पदनाम एवं विभाग का नाम
 मूल वेतन ₹0 अपुनरीक्षित/पुनरीक्षित
 वेतनमान (जो भी लागू हो)
 दस्तावेजों का विवरण: 1. 2. 3. 4.
17. ऐसे औद्योगिक इकाई/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/ संस्थागत/ ग्रामवासी/ एकल स्वामी/ साझेदार/ नौएडा कर्मचारी/ अधिकारी जो अनुसूचित जाति/ जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उनको योजना की विवरणिका के अनुसार 18 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है जिस हेतु उनको सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन: मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है और इसका कोई भाग असत्य भी नहीं है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवासीय भवन योजना हेतु समस्त नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ लिया है, मैं उनसे सहमत तथा बाध्य हूँ। यदि मेरे द्वारा योजना की नियम शर्तों का उल्लंघन एवं मिथ्यारोपण पाया जाता है तो प्राधिकरण को आवेदन-पत्र/ आबंटित भवन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर (राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबंधक द्वारा प्रमाणित)

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-06, नौएडा

योजना कोड सं0-2020-21(एच) (01)

कार्यालय हेतु प्राप्ति रसीद

आवेदन फार्म सं0-.....

आवेदक द्वारा भरा जाना है:-

पंजीकरण धनराशि पंजीकरण तिथि

आवेदक का नाम

बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर की संख्या

बैंक का नाम व पता

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

बैंक की मोहर के साथ

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-06, नौएडा

योजना कोड सं0-2020-21(एच) (01)

प्राप्ति रसीद

आवेदन फार्म सं0-.....

आवेदक द्वारा भरा जाना है:-

पंजीकरण धनराशि पंजीकरण तिथि

आवेदक का नाम

बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर की संख्या

बैंक का नाम व पता

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

बैंक की मोहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

Green Noida-Clean Noida

- 29 -